न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	रजि0 न0	निर्णय दिनांक
11/05/2021	15.02.2021	2021/37	29-03-2022

1–कालू राम पुत्र भैरू जाति मीना निवासी ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलांट

वनाम

1–किस्तुरी पत्नी बच्चूराम जाति मीना निवासी उकडूंद तहसील महुआ जिला दौसा।
2–तहसीलदार रैणी

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1167 वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी

उपस्थितः–

01. श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलान्ट
02 श्री अमर चन्द चौधरी –वकील रेस्पो0सं0 1
03 राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0सं0 2

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1167 वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील का प्रत्युत्तर पेश किया गया। जो कि शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील का प्रत्युत्तर पेश कर निवेदन किया गया है कि अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है।

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1167 वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी में वर्णित आराजीयात हरिया की खातेदारी का विरासत का इन्तकाल अपने नाम खुलवाने के संबंध में पेश किया। उसी दिन दिनांक 16.05.2018 को अपीलान्ट कालूराम के द्वारा तहसीलदार रैणी कैम्प कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट का चाचा हण्डू जो काफी दिन पहले मर्डर केस में जेल चला गया था, जिसके बारे में किसी को पता नही है, कि जीवित है, या मर चुका है।

29/3/2022

रेस्पोडेन्ट किस्तुरी के द्वारा फर्जी दस्तावेजात नामान्तकरण खुलवाने के लिये आवेदन किया गया है, तथा एक साल पहले भी इन्होने नामान्तकरण खुलवाने की कोशिश की थी तब अपीलान्ट के द्वारा स्थगन आदेश लिया जाकर नोट जमाबन्दी पर दर्ज करवा दिया गया था। जिस कारण इन्तकाल नही खोला गया। अब यह दुबारा आवेदन किया गया है, इस लिए रेस्पोडेन्ट किस्तुरी के नाम इन्तकाल नही खोला जावे।

प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रैणी के द्वारा यह अंकित किया गया कि नामान्तकरण 1167 ग्राम उकेरी विवादित होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल स्वीकार नही किया गया है, इस लिये बाद सुनवाई हेतु निर्णय पेश हो। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी होकर पत्रावली अन्तर्गत धारा 135 (2) भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिनाक 15.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 1167 वाके ग्रम उकेरी तहसील रैणी के संबंध में आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि खातेदार हण्डू पुत्र हारया कौम मीना निवासी उकेरी तहसील रैणी का निवासी था। जिसका आज तक कोई अता पता नही है, जिसके जीवित होने या मृत्यु की जानकारी नही मिली और ना ही उसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पचांयत या अन्य संस्था द्वारा जारी किया गया और न ही जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। ऐसी स्थिति में खातेदार हण्डु पुत्र हरिया का विरासत इन्तकाल खोला जाना अवैधानिक व कानून के सिद्धांतो के विपरित है, साथ ही किसी व्यक्ति के लापता हो जाने से एवं सात वर्ष से अधिक समय से किसी भी व्यक्ति के मृत्यु या जीवित होने की जानकारी नही है, तो लापता व्यक्ति के बाबत सक्षम दीवानी न्यायालय में मृत्यु की धोषणा करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने के बाद ही उसकी विरासत का इन्तकाल उसके वारिसान के नाम खोला जा सकता है। तहत अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है, फिर भी विधि विरूद्ध जाकर इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

असल रैस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार हण्डू की फर्जी तौर पर पुत्री बनकर उसकी आराजी को हडप करने की नियत से जो प्रार्थना पत्र इन्तकाल खुलवाने बाबत प्रंस्तुत किया गया जो खारिज किये जाने योग्य है, खातेदार हण्डु पुत्र हारया का अपीलान्ट के पिता भैरू का सगा भाई था अपीलाधीन आराजी भैरू व खातेदार हण्डु को उनके पिता मृतक हारया से प्राप्त हुई थी, जो जाति से मीना है, व अनुसुचित जन जाति में आते है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। खातेदार हण्डु की आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्तकार था एव खातेदार हण्डु के भाई भैरू की मिन अपीलाण्ट सगी औलाद है, इस अधार पर कानूनन अपीलान्ट के नाम विरासत इन्तकाल स्वीकार किया जाना चाहिये था जिन तथ्यो का भी अंकन प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने ऐतराज में किया गया था किन्तु तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया।

अतः अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनाक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1167

वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी निरस्त किया जाकर खातेदार हण्डु पुत्र हारया निवासी ग्राम उकेरी तहसील रैणी का विरासत का इन्तकाल मिन अपीलान्ट के हक में खोलें जाने के आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1167 निर्णय दिनाक 28.01.2021 वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी में वर्णित आराजीयात का खातेदार हण्डु पुत्र हारया के विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का के द्वारा इन्तकाल संख्या 1167 दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत उकेरी पंचायत समिति रैणी के समक्ष दिनाक 05.04.2018 को पेश किया गया जो कोरम के अभाव में बैठक निरस्त किये जाने के बाद आगामी बैठक में पेश होने के आदेश दिये गए। दिनांक 16.05.2018 को तहसीलदार रैणी (कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार) के समक्ष आराजी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उसी दिन 16.05.2018 को अपीलान्ट कालूराम के द्वारा तहसीलदार रैणी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपील में वर्णित आक्षेपो का उल्लेख करते हुए रेस्पोडेन्ट किस्तूरी के नाम इन्तकाल नही खोला जावे, का निवेदन किया गया। साथ ही अनुरोध किया गया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1167 वाके ग्राम उकेरी विवादित है,जिसके खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर को है, इस लिए क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अपीलान्ट प्रथम स्टेंज पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण में की गई बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन व अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर. एक्ट 1956 के तहत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में वाद/अपील दायर करने हेतु स्वतन्त्र है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है साथ प्रकरण में दिनाक 15.02.2021 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रैणी को तहत अदालत के रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/03/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)